तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1437/2003/भरतपुर अपील/टी.ए./1472/2003/भरतपुर श्योदान बनाम गंभीर	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित –
श्री वैभव कृष्ण पारीक, विद्धान अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन, विद्धान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 16.12.2024

अपीलार्थी ने यह दोनों अपीले धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या–157/2002 व 83/2002 बउनवानी गंभीर सिंह बनाम श्योदान में पारित निर्णय दिनांक 15–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीलों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने के कारण विद्धान अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलीय स्तर पर एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का जवाबदावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसको आधार बनाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–03–2003 से अपील को स्वीकर कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने यह तर्क किया कि जवाबदावे मे संशोधन अपीलीय स्तर पर अनुज्ञात किया जा सकता है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1437/2003/भरतपुर अपील/टी.ए./1472/2003/भरतपुर श्योदान बनाम गंभीर	नम्बर व तारीख
	प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादी श्योदानसिंह ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष दो वाद क्रमशः वाद संख्या– 108/97 बउनवानी श्योदान बनाम गंभीर, सीताराम व रामवीर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नंबर 5673, 5674, 5676, 5679 कुल किता 04 रकबा 6 एयर वाके ग्राम अजान एवं वाद संख्या– 223/97 बउनवानी श्योदान बनाम गंभीर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अंतर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नंबर 3017, 3018, 3019, 3020, 4825, 4828 कुल किता 06 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम अजान का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर वाद संख्या– 108/97 में अनुतोष सहित चार तनकीयात एवं वाद संख्या– 223/97 में अनुतोष सहित चार तनकिया कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 11–03–2002 से वाद संख्या– 108/97 में प्रतिवादी को विवादित आराजी कुल किता 04 रकबा 6 एयर बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया और वाद संख्या– 223/97 में वादी को विवादित आराजी कुल किता 06 रकबा 1.62 है0 का खातेदार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दो पृथक–पृथक अपीले 157/2002 व 83/2002 बउनवानी गंभीर सिंह बनाम श्योदान प्रस्तुत की उक्त अपील के विचाराधीन रहते प्रतिवादी/अपीलार्थी गंभीर सिंह ने दोनों अपीलों में आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश कर जवाबदावे के अतिरिक्त कथनों की मद संख्या– 18 के आगे ए व बी जोडे जाने की प्रार्थना की गयी, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने द्वारा पारित पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 15–03–2003 से 250/– रूपये हर्जाने पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। इन्हीं निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थी /वादी ने यह दोनों अपीले मंडल के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावे में संशोधन की अनुमति चाही गयी है। आदेश 06 नियम 17 सीपीसी अभिवचनों में संशोधन के बारे में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1437/2003/भरतपुर अपील/टी.ए./1472/2003/भरतपुर श्योदान बनाम गंभीर	नम्बर व तारीख

मार्गदर्शन करती है जिसके मुताबिक संशोधन कब तक व किस स्तर तक किया जा सकता है इस बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता की मंशा के अनुसार वाद के विचारण में किसी भी प्रक्रम पर अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु विचारण शुरू हो जाने के बाद संशोधन की अनुमति तभी दी जा सकती है जब पक्षकार सम्यक तत्परता के बाजवूद भी मामले को नहीं उठा पाये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है कि वह वांछित संशोधन को विचारण न्यायालय के समक्ष दौरान विचारण क्यों नहीं उठा पाया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में जो संशोधन चाहा गया है वह मूल वाद प्रस्तुत करने से पूर्व की घटनाओं पर आधारित होने से प्रथम अपील के स्तर पर प्रार्थनापत्र के माध्यम से जवाबदावे में चाहे गये उक्त संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने दोनों प्रकरणो में जवाबदावे में संशोधन की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने मे विधिक एवं तथ्यात्म त्रुटिक कारित की है उक्त के परिपेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण उन्हें निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले आंशिक स्वीकार की जाती है और विद्धान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या–157/2002 व 83/2002 बउनवानी गंभीर सिंह बनाम श्योदान में पारित निर्णय दिनांक 15–03–2003 अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर दोनों अपीलों में पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 16–01–2025 को विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुन को भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य